





(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू

अली अहमद बनाम तहसीलदार पीपलू

किस्म मुकदमा-प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट.

प्रकरण संख्या 104 सन् 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
04.06.25	<p>पत्रावली रिपोर्ट होकर पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर तलबी नोटिस प्रतिपक्षी जारी हो। पत्रावली दिनांक 09.06.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टॉक)</p>	
9/6/25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता यादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ. साहब राजकार्य में अस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली का आवेशिका अनुसार दिनांक 19/6/25 पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>	
19/06/25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता यादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ. साहब राजकार्य में अस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली का आवेशिका अनुसार दिनांक 20.06.2025 पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>	
20/6/25	<p>पत्रावली पेश हुई उक्त पक्ष उपस्थित उक्त पक्ष के वरिष्ठ का विवेक किया T.D.R पीपलू से रिपोर्ट प्राप्त हुई प्रां पत्र व रिपोर्ट का अवलोकन किया उक्त प्रां पत्र रचीका किया जाता है विषय पूरा है लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली विहित शुमार होकर इफ्तद शामिल है (विशेषांतर नम्बर से कम है)</p> <p style="text-align: center;"> उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टॉक)</p>	